

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।
आरोपी ध्रुव सिंह पूर्व से अनुपस्थित।
प्रकरण आज आरोपी ध्रुव सिंह की उपस्थिति हेतु नियत है।
आरोपी ध्रुव सिंह की उपस्थिति के लिए जारी
गिरफ्तारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि
आरोपी ध्रुव सिंह दिनांक : 21/04/2016 से प्रकरण में
अकारण अनुपस्थित है। जिससे यह दर्शित होता है कि आरोपी
ध्रुव सिंह अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है
और उसके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है।
ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी ध्रुव की उपस्थिति सुनिश्चित
करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत
होता है।

फलतः आरोपी ध्रुव सिंह की उपस्थिति के स्थाई वारंट
जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी ध्रुव सिंह के उपस्थित होने तक
अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण
व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया
जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये
कि प्रकरण में आरोपी ध्रुव सिंह फरार है, इसलिए अभिलेख
सुरक्षित रखा जाये।